राजस्व विविध संख्या 40/2017
भेराराम बनाम सरकार
प्रार्थना पत्र 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
2.02.2018	वकील प्रार्थी उपस्थित।	

वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पत्रावली आज सुनवाई पर ली गई। वकील प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली उपलब्ध रेकार्ड एवं तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रस्तुत मौका जांच प्रतिवेदन का अवलोकन किया।

प्रार्थीगण खातेदारान भेराराम पुत्र हीराजी चौधरी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित नियम 68,69 राजस्थान काश्तकारी(सरकारी) संशोधन नियम, 2012 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी स्वयं की धारित कृषि भूमि मौजा मुठाना के ख.न. 121/2 में स्थित सिंचाई कुए से उसकी धर्म पत्नि श्रीमती पवनीदेवी द्वारा धारित कृषि ीूमि मौजा सादडी चक प्रथम के खसरा नम्बर 164, 163, 167, 174 को सिंचित करने के लिए राजकीय भूमि मौजा सादडी चक प्रथम के ख.न. 273 रकबा 3. 65 हेक्टर किस्म गे.मु. रास्ता (सडक) मे से भूमिगत पाईप लाईन स्थापित करने के लिए अनूमत किये जाने का निवेदन किया।

तहसीलदार देसरी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 14.11.2017 के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित ख.न. 273 में भूमिगत पाईप लाईन स्थापित किया जाने पर कुल 0.12 हेक्टर (1200 व.मी.) भू-भाग उपयोग में लिय जायेगा तथा पाईप लाईन 2 फीट चौडी व 2.5 फीट गहरी खोदी जाकर भूमिगत पाईप लाईन सिंचाई प्रयोजनार्थ स्थापित की जायेगी जो मुख्य सडक को छोडकर सडक के एक तरफ किनारे- किनारे स्थापित की जायेगी। इस संबंध में सहायक अभियंता द्वारा दिनांक 23.10.2017 को अनापत्ति भी प्रस्तुत की गई।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए तथा राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोध नियम 2012 के नियम 69 के अन्तर्गत प्रार्थी को नियम 70 के अधीन निर्धारित प्रतिकर राशि राज्य कोष में जमा करवाते हुये अनुमत किया जा सकता है। अतः नियमों के नियम 70 के अनुसार एवं तहसीलदार देसूरी के प्रतिवेदन के अनुसार प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर रूपये 1133483/- प्रति हेक्टर होने से राशि रूपये 113.35 प्रति वर्ग मीटर दर बनती है। प्रस्तावित खसरे में प्रभावित क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर की डी.एल.सी. दर 136020 रूपये बनते है। नियमानुसार सिंचाई प्रयोजनार्थ पाईप लाईन स्थापित किये जाने पर डी.एल.सी. दर का 10 प्रतिशत राशि 13602(अक्षरे तेरह हजार छः सौ दो रूपये) आवेदक से वसूल देय होगें। अतः आवेदक को उक्त राशि राज्य कोष में जमा कराये जाने के निर्देशों के साथ प्रस्तावित भूमि मौजा सादडी के खसरा नम्बर 273

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये

देसूरी प्रतिकर राशि उपरोक्तानुसार आवेदक से वसूल कर राज्य कोष में जमा करवानें की सूनिश्चितता के पश्चात आवेदक को अनुमत करें। आवेदक उपरोक्तानुार राशि तहसील कार्यालय / राज्य कोष में जमा करवाने के पश्चात पाईप लाईन स्थापित किये जाने का कार्य करने के लिए पाबन्द रहेगें।

उपरोक्त आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार देसूरी पटवारी सादडी चक प्रथम एवं आवेदक को भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से कम हो।

(राजेश मेवाडा)
उपखण्ड अधिकारी
देसूरी
दिनांकः—

क्रमांक / रीडर / 2018 /
प्रतिलिपि पालनार्थ

1. तहसीलदार, देसूरी
2. पटवारी हल्का सादडी चक प्रथम
3. प्रार्थी भेराराम पुत्र हीराराम जणवा चौधरी निवासी गुडा मांगलियान

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)